सूचना का अधिकार

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन–बल प्रमुख), राजस्थान,जयपुर

क्रमांक एँफ 3 ( ) 2025–26 / सू.अ. / प्रमुवसं / लो.सू.अ. / दिनांकः–

परिपत्र

प्रायः देखा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के अन्तर्गत प्राप्त ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन आवेदनों का समय सीमा में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा निस्तारण नहीं किया जा रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 की धारा 7 (1) के अनुसार प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति दिनांक से अधिनियम में उल्लेखित समयावधि के भीतर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र निस्तारण करने का प्रावधान है। विदित है कि सामान्य मामलों में प्रार्थी को सूचना की आपूर्ती अनुरोध प्राप्ति से 30 दिवस की सीमा में की जानी अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में आवेदक के प्रार्थना –पत्र पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो यहा माना जाता है कि आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक को यह अधिकार है कि इसे आपकी प्रकल्पित मनाही मान लें।

ज्ञातव्य है कि आर.टी.आई की धारा 5 (4) के तहत लोक सूचना अधिकारी ऐसे अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझता है। अधिनियम के इस प्रावधान के अधीन वह अधिकारी लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा व अधिनियम की धारा 5 (5) के तहत वह प्रकल्पित राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जायेगा।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 / 14 / 2008 आई.आर. दिनांक 28.07.2008 (प्रति संलग्न) के अनुसार यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जिस किसी अधिकारी से सहायता चाही गयी है , वह अधिकारी उसकी आवश्यक सहायता नहीं करता है तो सूचना आयुक्त ऐसे अधिकारी पर उसी अनुरूप शास्ति अधिरोपित कर सकेगें या उसके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंषा कर सकेगें जैसी शास्ति या अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंषा लोक सूचना अधिकारी के विरूद्व की जाती है। अतः प्रत्येक अनुभाग / प्रकोष्ठ आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित सूचना अधिकतम 3 दिवस में सावधानी पूर्वक परीक्षण कर सूचना आर.टी.आई. अनुभाग को उपलब्ध करावें अन्यथा सूचना आयोग जयपुर की ओर से निर्देशित किया गया है कि आवेदक द्वारा द्वितीय अपील सूचना आयोग में प्रस्तुत करने पर सूचना अधूरी ,अस्पष्ट एवं समय पर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

(पवन कुमार उपाध्याय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर

सूचना का अधिकार

दिनांक 25/7/2

क्रमांक एफ 3 (1) 2025–26 / सू.अ. / प्रमुवसं / लो.सू.अ. / 1129-1228

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज. जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक / कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त / ट्री / राज. जयपुर
3. परियोजना निदेशक, RFBP-2/RFBDP, राजस्थान, जयपुर।
4. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. / अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रबंध निदेशक, राजस्थापन राज्य वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य जयपुर / मुख्य वन संरक्षक वन वर्धन, जयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / अजमेर / कोटा / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / भरतपुर ।
8. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर / (वन्यजीव)जोधपुर / (वन्यजीव)उदयपुर ।
9. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाई माधोपुर) / सरिस्का (अलवर) / मुकन्दरा (कोटा) ।
10. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज. जयपुर।
11. समस्त उप वन संरक्षक / वन बन्दोबस्त अधिकार / कार्य आयोजना अधिकारी / भू–संरक्षण अधिकारी।
12. उप वन संरक्षक , सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन किये जाने हेतु।
13. सहायक प्रोग्रामर कार्यालय हाजा / रक्षित पत्रावली।

(सुदीप कौर)
लोक सूचना अधिकारी
वन संरक्षक (समन्वय)
कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान जयपुर

T.A 01/08/25

GTS I 01/08/25

DCF I.T.

DCF(IT) 1/8/2025

No.1/14/2008-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training

....

North Block, New Delhi
Dated: the 28th July, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding Sub-sections (4) and (5) of Section 5 of the Right to Information Act, 2005.

***

Sub-sections (4) and (5) of section 5 of the Right to Information Act, 2005 provide that a Public Information Officer (PIO) may seek the assistance of any other officer for proper discharge of his/her duties. The officer, whose assistance is so sought, shall render all assistance to the PIO and shall be treated as a PIO for the purpose of contravention of the provisions of the Act. It has been brought to the notice of this Department that some PIOs, using the above provision of the Act, transfer the RTI applications received by them to other officers and direct them to send information to the applicants as deemed PIO. Thus, they use the above referred provision to designate other officers as PIO.

2. According to the Act, it is the responsibility of the officer who is designated as the PIO by the public authority to provide information to the applicant or reject the application for any reasons specified in sections 8 and 9 of the Act. The Act enables the PIO to seek assistance of any other officer to enable him to provide information to the information seeker, but it does not give him authority to designate any other officer as PIO and direct him to send reply to the applicant. The import of sub-section (5) of section 5 is that, if the officer whose assistance is sought by the PIO, does not render necessary help to him, the Information Commission may impose penalty on such officer or recommend disciplinary action against him the same way as the Commission may impose penalty on or recommend disciplinary action against the PIO.

3. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Director

1. All the Ministries / Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's

Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.

3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller&Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers / Desks / Sections, DOP&T and Department of Pension and Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.